

श्रेष्ठ,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समूचाप केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

डा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 29 मई, 2022

विषय:-

उत्तर प्रदेश की पंजीकृत प्राथमिक शिक्षा के सी०बी०सी०के परीक्षा के संख्या के आधारित प्रश्न का संकेत के संकेत के ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर पूरे पत्र को ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश की पंजीकृत प्राथमिक शिक्षा के सी०बी०सी०के परीक्षा के संख्या के आधारित प्रश्न का संकेत के संकेत के ।

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतावली-ला-समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रथम समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उक्त 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न व्याजों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संख्या प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था ऐतिहिक एवं विज्ञान कर्मचारियों को राजकीय सदस्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
 - 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
 - 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बुराई या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राज कुमार
मुख्य अधिकारी

पृ० सं०- १०११११ ॥ १५/७-७-२०१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **लखनऊ** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **लखनऊ** ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, ३०९०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **राज्य शैक्षिक संस्थान लखनऊ** ।
- 6- कार्ड बुक ।

आज्ञा से,

राज कुमार
मुख्य अधिकारी



K. K. Singh
31.7.15